न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 33/08 दायर दिनांक: 10.03.2008

जीसीएमएस नं. 2013/00709

श्रीमति शारदा देवी पुत्री मानसिंह पत्नि मोहनसिंह जाति धाकड़ नि. लुहासा तह. वैर जिला भरतपुर राज.

——वादी

बनाम

1 मानसिंह पुत्र श्री मवासी 2 रामपति पत्नि मानसिंह 3 गंगा प्रसाद 4 कुन्जबिहारी पुत्रान श्री मानसिंह जातियान धाकड़ नि. नंगला सिरसियान मजरा इटामडा तह. भुसावर 5 मोहनदेई पुत्री मानसिंह पत्नि मुरारी जाति धाकड़ नि. राजपुर तह. राजगढ़ जिला अलवर 6 लीलावती पुत्री मानसिंह जाति धाकड़ नि. गोठरा तह. वैर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता— 1.श्री छोटेलाल मीना ——वादीनी
2.श्री मानसिंह धाकड़ ——प्रति.

निर्णय दिनांक 25.11.2024

वकील वादीनी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण सजरा अनुसार एक ही पूर्वज की औलाद है।

आ.ख.नं. 283 रकबा 1.08, 379 रकबा 0.13, 400 रकबा 0.15, 404 रकबा 1.01, 408 रकबा 0.16, 413 रकबा 0.17, 414 रकबा 1.07, 421 रकबा 0.11, 465 रकबा 0.15, 771 रकबा 1.18, 783 रकबा 0.16, 800 रकबा 2.10, 802 रकबा 0.13, 808 रकबा 0.05, 813 रकबा 0.15, 815 रकबा 0.14, 820 रकबा 2.13, 823 रकबा 1.06, 858 रकबा 0.10, 862 रकबा 0.08, 892 रकबा 1.11, 893 रकबा 1.07, 899 रकबा 1.17, 900 रकबा 1.02, 905 रकबा 0.14, 910 रकबा 0.14, 912 रकबा 1.02, 1029 रकबा 3.03, 1039 रकबा 4.10, 1040 रकबा 3.12, 1069 रकबा 2.02, 1423/1025 रकबा 2.09, 1645/907 रकबा 0.18, 1694/1025 रकबा 2.10 हैक्टे. किता 34 कुल रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा ग्राम इटामडा तह. भुसावर में स्थित है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 मानसिंह 1/3 हिस्से का खातेदार है जो उसे उसके पूर्वज से प्राप्त हुई है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादनी उसके 1/3 हिस्से में 1/6 हिस्से की काविज काश्तकार एवं खातेदार है, जो पैत्रिक आराजी है।

प्रतिवादी संख्या 2 की वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी उसकी स्वअर्जित आराजी नहीं है और उसे वाई बर्थ प्राप्त हुई है जिसको बेचने व रहन रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन परिवार का कर्त्ता होने की वजह से खातेदारी का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होता चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आवश्यकता अपने हिस्से की आराजी को बेचने की नहीं है लेकिन वह बिना किसी कार्य के वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी में से अपने 1/3 हिस्से को अन्य जगह रहन वय व मुन्तकिल करने के लिये उतारू है, जिसके बाबत उसने दिनांक 04.03.2008 को वैर कार्यपालक दण्डनायक की अदालत अहाता में यह धमकी दी है कि मैं अपनी किसी लड़की के लिये कोई भात, जामना नहीं दूँगा और समस्त आराजी को मेरे जीते जी अपने दोनों पुत्रों के नाम कराऊँगा अथवा किसी दीगर व्यक्ति के लिये व बैंक में रहन, वय व मुन्तकिल कर दूँगा। प्रतिवादी संख्या 1 की धमकी से वादनी के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। अतः वादनी वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में से अपने 1/6 के बाबत डिक्लेरेशन करा पाने की अधिकारी है कि वह 1/6 हिस्से की काविज काश्तकार एवं खातेदार है।

अतः वादनी द्वारा निवेदन किया गया है कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में निहित 1/3 हिस्से की खातेदारी से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकालतनामा व जवाब श्री मानसिंह धाकड़ एड. द्वारा पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 5,6 की बाद तलवी उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी गई। दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात दिनांक 02.08.2010 को कायम की गई। साक्ष्य वादी के रूप में शपथ पत्र शारदा द्वारा पेश किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। दिनांक 26.07.2011 को प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 4 जाप्ता दीवानी इस शर्त पर स्वीकार किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 06.07.89 रिकॉर्ड पर लिया जावें। लेकिन इस पर प्रदर्श नहीं डाले जावें। इसकी अपील वादी द्वारा माननीय न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड में की गई। उन्होंने अपील स्वीकार कर दिनांक 16.12.2011 को आदेश दिया गया कि नामान्तरकरण पर प्रदर्श 1000/– की कोस्ट पर प्रतिवादीगण को दिये जाने पर डाले जावें। दिनांक 19.06.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 मानसिंह की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 पेश किया गया। इसके वारिसान पूर्व से ही शीर्षक पर मौजूद थे। वादी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

<u>**तनकी नं. 1:–**</u> आया वादी व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज की सन्तानें हैं व आराजी मुतनाजा संयुक्त पैत्रिक खातेदार है, की भूमि है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीनी पर था, वादीनी द्वारा पूर्वज मवासी जो इसके बाबा है, का सजरा पेश किया गया। सजरे के अनुसार जिसकी जमाबन्दी व नामान्तरकरण संख्या 134 पेश गया गया। अतः तनकी नं. 1 वहक वादीनी निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी नं. 2:–**</u> आया वादीनी आराजी मुतनाजा के 1/3 हिस्से से 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है।

तनकी नं. 2 को सिद्ध करने का भार वादीनी पर था, इस संबंध में वादीनी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः शपथ पत्र अनुसार तनकी नं. 2 वहक वादीनी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

तनकी नं. 3:– आया प्रतिवादीगण ने वादीनी को दिनांक 04.03.2008 को जीते जी पैत्रिक आराजी को पुत्रों के नाम करने व दीगर व्यक्ति के नाम रहन, वय व मुन्तकिल करने की धमकी दी गई।

तनकी नं. 3 को सिद्ध करने का भार वादीनी पर है, इस संबंध में अपने शपथ पत्र में शंका जाहिर की है व दावे में भी इस बाबत अंकन किया गया जिसका प्रतिवादी द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। अतः तनकी नं. 3 वहक वादीनी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4:– आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा पाने एवं उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का हकदार है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीनी पर है, वादीनी द्वारा दावे में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं नामान्तरकण संख्या 134 से जाहिर किया गया है कि भूमि पैत्रिक है उसका वाजिब हक बनता है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा से करा पाने का हकदार है। अतः तनकी नं. 4 वहक वादीनी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5:– आया वयनामा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खरीदी गई आराजी सं. 1035, 379, 401, 1040 वाके ग्राम इटामडा में कोई हक हासिल नहीं है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो वयनामा की प्रमाणित छायाप्रति ही पेश की है, न ही कोई अन्य दस्तावेजात पेश किया गया। जिससे सिद्ध हो सके कि उक्त आराजी वयनामा द्वारा क्रय की गई है। अतः तनकी नं. 5 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकीवार निर्णयानुसार तनकी 1 लगायत 4 वहक वादी निर्णित एवं तनकी नं. 5 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीनी डिक्री किया जाता है कि आ.ख.नं. 283 रकबा 1.08, 379 रकबा 0.13, 400 रकबा 0.15, 404 रकबा 1.01, 408 रकबा 0.16, 413 रकबा 0.17, 414 रकबा 1.07, 421 रकबा 0.11, 465 रकबा 0.15, 771 रकबा 1.18, 783 रकबा 0.16, 800 रकबा 2.10, 802 रकबा 0.13, 808 रकबा 0.05, 813 रकबा 0.15, 815 रकबा 0.14, 820 रकबा 2.13, 823 रकबा 1.06, 858 रकबा 0.10, 862 रकबा 0.08, 892 रकबा 1.11, 893 रकबा 1.07, 899 रकबा 1.17, 900 रकबा 1.02, 905 रकबा 0.14, 910 रकबा 0.14, 912 रकबा 1.02, 1029 रकबा 3.03, 1039 रकबा 4.10, 1040 रकबा 3.12, 1069 रकबा 2.02, 1423/1025 रकबा 2.09, 1645/907 रकबा 0.18, 1694/1025 रकबा 2.10 हैक्टे. किता 34 कुल रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा ग्राम इटामडा तह. भुसावर में प्रतिवादी संख्या 1 मानसिंह 1/3 हिस्से का खातेदार है। अतः मानसिंह के 1/3 हिस्से में से वादीनी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काविज आराजी घोषित किया जाता है।

अतः तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)